

न्यायालय जिला मजिस्ट्रेट, सीकर
पीठासीन अधिकारी मुकुल शर्मा, आई.ए.एस.

पत्रावली संख्या : 103 / 2025 अन्तर्गत प्रतिभूति-हित का प्रवर्तन अधिनियम 2002

एयू स्मॉल फाईनेंस बैंक लि. (पूर्व नाम एयू फाईनेंसर्स (इण्डिया) लि.) रजि. कार्यालय 19-ए, धूलेश्वर गार्डन, अजमेर रोड़, जयपुर-302001, राज. जरिये प्राधिकृत अधिकारी पुष्पेन्द्र सिंह महलाना

—प्रार्थी (प्रतिभूति लेनदार)

बनाम

1. विकाश जांगिड़ पुत्र राधेश्याम जांगिड़ जाति खाती, निवासी वार्ड नं. 1, ग्राम अरनियां, तहसील श्रीमाधोपुर, जिला सीकर 332603
2. सोहनी देवी पत्नी राधेश्याम जांगिड़ जाति खाती, निवासी वार्ड नं. 1, ग्राम अरनियां, तहसील श्रीमाधोपुर, जिला सीकर 332603

—अप्रार्थीगण (ऋणी / सहऋणी / बंधककर्ता)

The application under section 14 of the securitisation and reconstruction of financial assets and enforcement of security interest Act. 2002.



स्वीकृति आदेश

दिनांक: 30 जून, 2025


1. प्रार्थी वित्तीय संस्था के अधिवक्ता श्री मनोज कुमार वर्मा द्वारा अधिनियम की धारा 14 के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है। प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि प्रार्थी ने अप्रार्थीगण संख्या 1 एवं 2 क्रमशः विकाश जांगिड़ पुत्र राधेश्याम जांगिड़ एवं सोहनी देवी पत्नी राधेश्याम जांगिड़ की ओर से पुनर्भुगतान हेतु जमानत प्रतिभूति के रूप में प्रार्थी वित्तीय संस्था के पक्ष में अप्रार्थी सोहनी देवी के स्वामित्व की अचल सम्पति आवासीय भूखण्ड पट्टा संख्या 24, ग्राम अरनियां, तहसील श्रीमाधोपुर, जिला सीकर में स्थित है। जिसका कुल क्षेत्रफल 101.88 वर्गगज है। जिसकी चतुर्दिशाएं इस प्रकार हैं— पूरब दिशा में आम रास्ता व आगे मस्तराम का भूखण्ड, पश्चिम दिशा में कैलाशचन्द्र पुत्र ग्यारसी लाल का भूखण्ड, उत्तर दिशा में कैलाशचन्द्र पुत्र

(मुकुल शर्मा)
जिला मजिस्ट्रेट, सीकर

ग्यारसी लाल का भूखण्ड एवं दक्षिण दिशा में दीपक का भूखण्ड स्थित है। उक्त सम्पत्ति को बंधक रखकर **कुल ₹14,00,000/- रुपये (अक्षरे रुपये चौदह लाख)** की ऋण सुविधा उपलब्ध कराई गई थी। अप्रार्थीगण ऋणी द्वारा प्रार्थी वित्तीय संस्था को ऋण भुगतान करने में असफल रहने पर अधिनियम की धारा 13(2) के अन्तर्गत अप्रार्थीगण को दिनांक **10.12.2024** को रजिस्टर्ड नोटिस जारी किए गये। नोटिस जारी किये जाने के बावजूद ऋण राशि मय ब्याज भुगतान नहीं करने पर प्रार्थी वित्तीय संस्था ने The Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act. 2002 की धारा 14 के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर अपने पास बंधक सम्पत्ति का भौतिक रूप से कब्जा प्राप्त करने हेतु आवश्यक पुलिस इमदाद उपलब्ध कराने की इस्तदुआ की है।

2. पत्रावली दर्ज रजिस्टर की गई। ऋणी की ओर से वकील श्री रवि कुमावत उपस्थित आये परन्तु बकाया ऋण भुगतान से संबंधित कोई दस्तावेज पेश नहीं किये है।
3. पत्रावली का भली भांति अवलोकन किया गया। प्रार्थी वित्तीय संस्था को भारत का राजपत्र में जारी वित्त मंत्रालय की अधिसूचना में सरफेसी अधिनियम 2002 के तहत वित्तीय संस्थान के रूप में निर्दिष्ट किया गया है।
4. प्रकरण में प्रार्थी वित्तीय संस्था द्वारा अप्रार्थीगण ऋणी को दिनांक **10.12.2024** को धारा 13(2) का रजिस्टर्ड नोटिस जारी किया गया है जिसकी अप्रार्थीगण ऋणी की प्राप्ति रसीद (Acknowledgement) की एवं समाचार पत्र उमें प्रकाशन की फोटो प्रति प्रार्थी वित्तीय संस्थान द्वारा प्रस्तुत की गई है।
5. अतः The Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act. 2002 की धारा 14 में प्रदत्त शक्तियों के तहत प्रार्थी वित्तीय संस्था द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। अप्रार्थीगण संख्या 1 एवं 2 क्रमशः **रा विकाश जांगिड़ पुत्र राधेश्याम जांगिड़ एवं सोहनी देवी पत्नी राधेश्याम जांगिड़** की ओर से पुनर्भुगतान हेतु जमानत प्रतिभूति के रूप में प्रार्थी वित्तीय संस्था के पक्ष में अप्रार्थी **सोहनी देवी** के स्वामित्व की अचल सम्पत्ति **आवासीय भूखण्ड पट्टा संख्या 24, ग्राम अरनियां,**




(मकुल शर्मा)
जिला मजिस्ट्रेट, सीकर

तहसील श्रीमाधोपुर, जिला सीकर में स्थित है। जिसका कुल क्षेत्रफल 101.88 वर्गगज है। जिसकी चतुर्दिशाएं इस प्रकार हैं— पूरब दिशा में आम रास्ता व आगे मस्तराम का भूखण्ड, पश्चिम दिशा में कैलाशचन्द पुत्र ग्यारसी लाल का भूखण्ड, उत्तर दिशा में कैलाशचन्द पुत्र ग्यारसी लाल का भूखण्ड एवं दक्षिण दिशा में दीपक का भूखण्ड स्थित है। उक्त बंधक सम्पत्ति का भौतिक रूप से कब्जा प्राप्त करने हेतु प्रार्थी वित्तीय संस्था को पुलिस इमदाद जरिये पुलिस अधीक्षक सीकर द्वारा प्राप्त किये जाने के **स्वीकृति आदेश** प्रकरण अथवा बंधक सम्पत्ति पर **किसी दिगर न्यायालय का स्थगन नहीं होने की शर्त पर** दिये जाते हैं। उक्त आदेश की पालना हेतु पुलिस अधिकारियों/कर्मचारियों के वेतन भत्तों व न्यायालय आदि का भुगतान नियमों में देय है, जो सम्बन्धित बैंक/वित्तीय संस्थान द्वारा वहन किया जावेगा।

6. आदेश आज दिनांक **30 जून, 2025** को खुले न्यायालय में सुनाया गया।



(मुकुल शर्मा)
 (मुकुल शर्मा)
 जिला मजिस्ट्रेट, सीकर
 जिला मजिस्ट्रेट, सीकर